1 दिसम्बर, 1991 को आयोजित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उत्तर शताब्दी रजत जयन्ती समारोह पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री बी0 सत्यनारायण रेड्डी का उद्घाटन भाषण

महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत के मुख्य न्यायाधिपति, भारत सरकार से आये केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, उपस्थित माननीय न्यायमूर्तिगण, अधिवक्तागण तथा देवियों और सज्जनों–

इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर आज यहां आयोजित इस समारोह में भाग लेकर मुझे बडी प्रसन्नता हो रही है ।

हम सबके लिये यह बडे गौरव की बात है कि इस समारोह का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी के हांथों हो रहा है । इस समारोह में राष्ट्रपति जी के शरीक होने से इसकी शोभा कई गुना बढ गयी है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता । राष्ट्रपति जी ने इस समारोह में भाग लेने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और वे यहां आये, इसके लिये हम अपनी ओर से, आयोजको और प्रदेशवासियों की ओर आभार व्यक्त करते हैं तथा उनका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं । इसके साथ ही केन्द्रीय विधि मंत्री का भी मैं स्वागत करता हूं, जो राजनीति एवं कानून दोनों क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय हैं ।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का वह गौरवशाली न्यायालय है, जो अपनी शानदार न्यायिक परम्परा के लिये काफी विख्यात रहा है । वास्तव में यह वह आदर्श न्यायालय है, जिसकी हमारे देश के अनेक महापुरूषों ने समय–समय पर गरिमा बढायी है । इनमें सम्मानित न्यायमूर्ति सर पी0सी0 बनर्जी, सर सुन्दर लाल और सर शाह मोहम्मद सुलेमान से लेकर न्यायमूर्ति एम0एच0वेग, आर0 एस0 पाठक, के0जे0शेट्टी तथा सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति के0एन0 सिंह तथा न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी0पी0 जीवन रेड्डी आदि का नाम प्रमुख है । इसी प्रकार माननीय पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री पुरूषोत्तम दास टण्डन, सर तेजबहादुर सप्रू, डा0 कैलाश नाथ काटजू तथा पंडित गोपाल स्वरूप पाठक आदि जैसी भारत की अनेक महान विभूतियों का इस न्यायालय की बार से बडा करीब का सम्बन्ध रहा है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से देश की इस आदर्श बार का मान–सम्मान इतना बढाया कि इस पर जितना भी गर्व किया जाय कम है ।

इस अवसर पर मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इस न्यायालय की बेंच और बार के बीच सम्बन्ध सदैव बडे मधुर रहे हैं । इस न्यायालय में आयोजित समारोहों में भाग लेने का यह मेरा तीसरा अवसर है । यहां के न्यायमूर्तियों तथा अधिवक्ताओं से मिलने और बातचीत करने का जो अवसर मिला, उसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि यहां बेंच और बार के बीच आस्था और विश्वास पर आधारित सम्बन्ध आज भी बडे ही मधुर एवं अटूट हैं । मैं चाहूंगा कि यह सम्बन्ध भविष्य में और अधिक मजबूत हों ताकि जनता में इस न्यायालय प्रति श्रद्धा और सम्मान में कभी कोई कमी न आने पाये

और आज देश के समस्त उच्च न्यायालयों में इसकी जो विशेष गरिमा और महिमा है, वह सदैव बनी
रहे । वास्तव में न्याय–मार्ग ही सही मायने में सत्य का मार्ग है । इस सम्बन्ध में भर्तृहरि ने सच ही कहा है कि "धैर्यवान व्यक्ति न्याय–पथ से एक पग भी विचलित नहीं होते ।"

वास्तव में भारत संसार का वह महान एवं आदर्श देश है, जो सत्य, न्याय, शांति, अहिंसा और सद्भाव के लिये आदिकाल से ही विश्व–विख्यात रहा है । यही कारण है कि आजादी के बाद जब देश का संविधान बना तो राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य ''सभी नागरिकों के लिये समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय प्रदान करना तथा भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देना ही रखा गया । इसमें जहां तक "न्याय" का मामला है, इसका सीधा सम्बन्स्ध न्याय देने वाले न्यायाधीशों, न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं तथा न्याय पाने वाले वादी एवं प्रतिवादियों से है । लेकिन इस सिलसिले में बस जरूरत यही है कि यह सभी पक्ष सत्यता, निष्पक्षता और निर्भीकता के लिये पूरी तरह निष्ठावान रहें, तभी लोगों को सही निर्णय मिल सकेगा और न्यायालय की छवि भी बनी रहेगी ।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं एक बार पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह में भाग लिया । यह हम सबके लिए बेहद गौरव और हर्ष की बात है ।

मैं इस समारोह की सफलता के लिये अपनी शुभकामनाएं देता हूं ।

जय हिन्द ।